



Budget & Taxation

(बजट एवं कराधान)

Capital receipts

- All those receipts of the government which **create liability or reduce financial assets** are termed as capital receipts.

The main items of Capital receipts (income) are :-

- Loans raised by the government from the public through the sale of bonds and securities. They are called market loans.
- Loans and aids received from foreign countries and other international Organisations like International Monetary Fund (IMF), World Bank, etc.

पूंजीगत प्राप्तियाँ

- सरकार की वे सभी प्राप्तियाँ जो देनदारी पैदा करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ कहलाती हैं।

पूंजीगत प्राप्तियों (आय) की मुख्य मदें हैं:-

- सरकार द्वारा बांड और प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से जनता से लिया गया ऋण। इन्हें बाज़ार ऋण कहा जाता है।
- विदेशी देशों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक आदि से प्राप्त ऋण और सहायता।

Capital receipts

- Receipts from small saving schemes like the National saving scheme, Provident fund, etc.
- **Recoveries of loans** granted to state and union territory governments and other parties.

पूंजीगत प्राप्तियाँ

- राष्ट्रीय बचत योजना, भविष्य निधि आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं से प्राप्तियाँ।
- राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और अन्य दलों को दिए गए ऋणों की वसूली।

राजस्व प्राप्ति

कर राजस्व

(करों से मिली
प्राप्तियाँ)

गैर-कर राजस्व

- ① जुर्माना (Fines & Penalty)
- ② शुल्क (Fee)
- ③ उपहार एवं मदद (Gift & Grant)
- ④ बाजार से कमाया गया लाभ

✓ प्रौद्योगिक खर्च :-

ऐसे खर्च जो सरकार के लिए Asset (सम्पत्ति) / आय का

Ex: सरकार द्वारा बाजार में निवेश।
सहायक बन जाए।

ऐसा खर्च जो सरकार की देनदारी को कम करदे।

Ex: सरकार द्वारा ऋण का भुगतान।

राजस्व खर्च - ① पैसै खर्च जो आय का साधन नहीं बनते।

② यह सरकार के जरूरी खर्च है।

Ex - सरकारी कर्मचारियों का वेतन, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, पेंशन,
मिशन-2 प्रकार के होते, रक्षा क्षेत्र में खर्च, सरकार द्वारा
व्याज का भुगतान etc.

Capital Expenditure

- These are those government expenditures which result in the **creation of physical or financial assets or reduction in financial liabilities**. These include:
- expenditure on the acquisition of land, building, machinery, equipment, investment in shares
- Loans and advances by the central government to State and Union Territory governments, PSUs and other parties.

पूंजीगत व्यय

- ये वे सरकारी व्यय हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। इसमें शामिल है:
- भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश के अधिग्रहण पर व्यय
- केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम।

Revenue receipts

- These are the incomes which are received by the government from all sources in its ordinary course of governance. These receipts **do not create a liability**.
- Revenue receipts are further classified as **tax revenue and non-tax revenue**.

राजस्व प्राप्तियाँ

- ये वे आय हैं जो सरकार को शासन के सामान्य कामकाज में सभी स्रोतों से प्राप्त होती हैं। ये रसीदें देनदारी नहीं बनातीं.
- राजस्व प्राप्तियों को आगे कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Revenue receipts

Tax Revenue

- Tax revenue consists of the income received from different taxes and other duties levied by the government. It is a major source of public revenue. Every citizen, by law is bound to pay them and non-payment is punishable.
- Taxes are of two types, viz., **Direct Taxes and Indirect Taxes.**

राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व

- कर राजस्व में सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न करों और अन्य शुल्कों से प्राप्त आय शामिल होती है। यह सार्वजनिक राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। कानून के अनुसार प्रत्येक नागरिक उन्हें भुगतान करने के लिए बाध्य है और भुगतान न करना दंडनीय है।
- कर दो प्रकार के होते हैं, अर्थात्, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर।

Revenue receipts

Non-Tax Revenue

- Fees
- Fines and penalties
- Profits from public sector enterprises
- Gifts and grants

राजस्व प्राप्तियाँ

गैर-कर राजस्व

- फीस
- जुर्माना और दंड
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभ
- उपहार और अनुदान

Revenue Expenditure

- These are that expenditure incurred for purposes of **day to day expenses** rather than the creation of physical or financial assets of the central government.

It relates to:

- Expenditure by the government on consumption of goods and services.
- Expenditure on agricultural and industrial development, scientific research, education, health and social services , subsidies.

राजस्व व्यय

- ये केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के बजाय रोजमर्रा के खर्चों के लिए किए गए व्यय हैं।

यह इससे संबंधित है:


- वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर सरकार द्वारा व्यय।
- कृषि और औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं, सब्सिडी पर व्यय।

Revenue Expenditure


- Expenditure on defence and civil administration.
- Expenditure on exports and external affairs.
- Payment of interest on loans taken in the previous year.

राजस्व व्यय

- रक्षा और नागरिक प्रशासन पर व्यय.
- निर्यात और विदेशी मामलों पर व्यय।
- पिछले वर्ष लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान।



2024 2-3Q



1) प्राप्ति > खर्च \Rightarrow Surplus Budget (अधिशेष बजट)

(2) प्राप्ति = खर्च \Rightarrow संतुलित बजट

नोट ③ प्राप्ति < खर्च \Rightarrow Budget Deficit (बजटीय घाटा)

Types of Budget

Surplus Budget : A surplus budget is a condition when incomes or receipts overreach costs or outlays (expenditures).

Balanced Budget : A balanced budget is a budget in which revenues are equal to expenditures.

Budget Deficit : A budget deficit occurs when a government's expenditures exceed its revenues over a specific period.

बजट के प्रकार

अधिशेष बजट : अधिशेष बजट वह स्थिति होती है जब आय या प्राप्तियां , लागत या परिव्यय (व्यय) से अधिक हो जाती हैं।

संतुलित बजट : संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें राजस्व , व्यय के बराबर होता है।

बजट घाटा : बजट घाटा तब होता है जब किसी सरकार का व्यय , एक विशिष्ट अवधि में उसके राजस्व से अधिक हो जाता है।

Different Types of Government Deficit

Revenue Deficit : When the government's total revenue expenditure exceeds its total revenue receipts.

Revenue deficit = Total revenue expenditure – Total revenue receipts

सरकारी घाटे के विभिन्न प्रकार

राजस्व घाटा: जब सरकार का कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है।

राजस्व घाटा = कुल राजस्व व्यय - कुल राजस्व प्राप्तियाँ

Different Types of Government Deficit

सरकारी घाटे के विभिन्न प्रकार

Fiscal Deficit : It is the difference between total expenditure and total receipts (excluding borrowing).

राजकोषीय घाटा : यह कुल व्यय और कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर है।

Fiscal deficit = Total expenditure – Total receipts except borrowings

राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ

या

$$\frac{\text{राजकोषीय घाटा}}{\text{घाटा}} = \text{व्यय घाटा} - \text{उधारियाँ}$$

Different Types of Government Deficit

Primary Deficit : Primary deficit is known as the difference between the current year's fiscal deficit and the interest payment on the earlier borrowings.

Primary deficit = Fiscal deficit - Interest payment

सरकारी घाटे के विभिन्न प्रकार

प्राथमिक घाटा: प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले के उधार पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर के रूप में जाना जाता है।

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

Types of Budget

बजट के प्रकार

N.S. 1990

Interim Budget : An Interim Budget is presented by a government that is going through a transition period or is in its **last year in office ahead of general elections**.

Traditionally, an incumbent government cannot present a full Union Budget in the election year.

अंतरिम बजट: अंतरिम बजट एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुजर रही है या आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है। परंपरागत रूप से, मौजूदा सरकार चुनावी वर्ष में पूर्ण केंद्रीय बजट पेश नहीं कर सकती है।

2024
✓
[1 Feb] = अंतरिम बजट

✓
23 July = अंतिम बजट
(final Budget)

Types of Budget

Gender Budget : Gender Budget was introduced in India in **2005-06**. Gender budgeting is an exercise to translate the stated gender commitments of the government into budgetary commitments, involving special initiatives for **empowering women and examination of the utilization of resources allocated for women** and the impact of public expenditure and policies of the government on women.

बजट के प्रकार

जेंडर बजट : भारत में जेंडर बजट 2005-06 में पेश किया गया था। जेंडर बजटिंग सरकार की घोषित लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में तब्दील करने की एक कवायद है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष पहल और महिलाओं के लिए आवंटित संसाधनों के उपयोग और महिलाओं पर सार्वजनिक व्यय और सरकार की नीतियों के प्रभाव की जांच शामिल है।

Types of Budget

Green budget : Green budget means that, allocated money would be spent by various departments **to restore degraded ecological systems** and conserve the existing ones in a bid to restore ecological system and biodiversity over time. Green budget is aimed at improving the living conditions of human beings and wildlife. In India, Bihar is the **first** Indian State to present Green Budget.

बजट के प्रकार

ग्रीन बजट : ग्रीन बजट का मतलब है कि समय के साथ पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को बहाल करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा आवंटित धन को , खराब पारिस्थितिक प्रणालियों को बहाल करने और मौजूदा प्रणालियों को संरक्षित करने के लिए खर्च किया जाएगा। ग्रीन बजट का उद्देश्य मानव और वन्य जीवन की जीवन स्थितियों में सुधार करना है। भारत में ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार पहला भारतीय राज्य है।

Taxation in India

- Tax is nothing but money that people have to pay to the Government, which is used to provide public services.
- Taxes are of two types, viz., Direct Taxes and Indirect Taxes.

Direct taxes are those taxes which have to be paid by the person on whom they are levied. Its **burden can not be shifted** to some one else. E.g. Income tax, property tax, corporation etc. are direct taxes.

भारत में कराधान

- कर कुछ और नहीं बल्कि वह पैसा है जो लोगों को सरकार को देना होता है, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- कर दो प्रकार के होते हैं, अर्थात्, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर।
- **प्रत्यक्ष कर** वे कर हैं जिनका भुगतान उस व्यक्ति को करना पड़ता है जिस पर वे लगाए गए हैं। इसका बोझ किसी दूसरे पर नहीं डाला जा सकता। जैसे आयकर, संपत्ति कर, निगम आदि प्रत्यक्ष कर हैं।

Tax (कर)

Direct Tax (प्रत्यक्ष कर)

→ ऐसे कर जिनका बोझ (Burden), Shift नहीं कर सकते।

उदा०: आयकर, निगमकर, उपहारकर, सम्पदाकर (wealth Tax) etc.

Indirect Tax अप्रत्यक्ष कर

→ ऐसे कर जिनका बोझ Shift कर सकते हैं।
दृ०: GST सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क,

VAT (Value Added Tax), सेवाकर etc

Taxation in India

Indirect taxes are those taxes which are levied on commodities and services and affect the income of a person through their consumption expenditure. Here the **burden can be shifted** to some other person. E.g. Custom duties, sales tax, services tax, excise duties, etc. are indirect taxes.

भारत में कराधान

अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं और किसी व्यक्ति की आय को उनके उपभोग व्यय के माध्यम से प्रभावित करते हैं। यहां बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है। जैसे सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर हैं।

Taxation in India

Income tax : It is a tax charged on the **annual income of an individual** earned in a financial year. The Income Tax system in India is governed by The **Income Tax Act, 1961**. Any individual earning more than ₹ 2.5 lakh annually in a financial year is required to pay income tax to the Government of India.

भारत में कराधान

आयकर: यह एक वित्तीय वर्ष में अर्जित किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर है। भारत में आयकर प्रणाली आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होती है। एक वित्तीय वर्ष में सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार को आयकर का भुगतान करना आवश्यक है।

Taxation in India

भारत में कराधान

निगम का



कम्पनी
के लाभ पर

लगाने वाला
कर

Corporate Tax : A corporate tax is a levy placed on a firm's **profit by the government**. The money collected from corporate taxes is used for a nation's source of income.

Domestic as well as **foreign** companies are liable to pay corporate tax under the Income-tax Act.

कॉरपोरेट टैक्स : कॉरपोरेट टैक्स सरकार द्वारा किसी फर्म के लाभ पर लगाया जाने वाला कर है। कॉर्पोरेट करों से एकत्रित धन का उपयोग देश की आय के स्रोत के लिए किया जाता है।

घरेलू और विदेशी कंपनियां आयकर अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

Taxation in India

भारत में कराधान

Gift Tax : Gift tax is an act introduced by the Parliament of India in **1958**. It was introduced to **impose tax** on giving and receiving **gifts** under certain circumstances which is specified under the act. These gifts can be in any form including cash, jewellery, property, shares, vehicle, etc. Though gift tax is applicable on gifts whose value **exceeds** Rs.**50,000**, the gift is exempted from tax if it was given by a relative.

① 50,000/- के अधिक के Gift का

② केवल Gift लेने वाला व्यक्ति देता है

उपहार कर : उपहार कर **1958** में भारत की संसद द्वारा पेश किया गया एक अधिनियम है। इसे कुछ परिस्थितियों में उपहार देने और प्राप्त करने पर कर लगाने के लिए पेश किया गया था जो अधिनियम के तहत निर्दिष्ट है। ये उपहार नकदी, आभूषण, संपत्ति, शेयर, वाहन आदि सहित किसी भी रूप में हो सकते हैं। हालांकि उपहार कर उन उपहारों पर लागू होता है जिनकी कीमत **50,000 रुपये** से अधिक है, लेकिन अगर उपहार किसी रिश्तेदार द्वारा दिया गया हो तो उसे कर से छूट मिलती है।

Taxation in India

भारत में कराधान

Customs Duty : It is a tax imposed on **imports and exports of goods**. The rates of customs duties are either specific or on ad valorem basis, that is, it is based on the value of goods.

सीमा शुल्क : सीमा शुल्क एक कर है जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क की दरें या तो विशिष्ट या यथामूल्य आधार पर होती हैं, अर्थात् यह माल के मूल्य पर आधारित होती हैं।

आयात-
निर्यात पर
लगाये वाला
कर

Taxation in India

भारत में कराधान

Excise duty: It is a form of indirect tax that is levied by the Central Government of India for the **production, sale, or license of certain goods.**

Excise duty charges are also collected by state governments for alcohol and narcotics.

Excise duty has been **replaced** by the Goods and Services Tax (GST) w.e.f. **1 July 2017.**

उत्पाद शुल्क : उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है जो भारत की केंद्र सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री या लाइसेंस के लिए लगाया जाता है। शराब और नशीले पदार्थों के लिए राज्य सरकारों द्वारा उत्पाद शुल्क वसूला जाता है।

उत्पाद शुल्क को 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

चीनी मिला

